न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

फर्द अहकाम

उनवानः– रामसिंह बनाम रामधन

25.10.2024

पत्रावली पेश हुई, सायल वकील उपस्थित, सायल वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सायला वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम पाडली के खाता न0 137 मे कुल किता 3 कुल रकवा 0.60 है0 मे गैरसायल न0 3 , 1/2 हिस्से का, गैरसायल न0 1, 1/4 हिस्से का गैरसायल न0 2, 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकार्ड जो कि गलत दर्ज है। खाता न0 100 मे कुल किता 12 कुल रकवा 2.64 है0 मे गैरसायल न0 1, 1/4 हिस्से गैरसायल न0 2, 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज है जो कि गलत दर्ज है, खाता न0 101 मे कुल किता 10 कुल रकवा 2.65 है0 मे गैरसायल न0 1, 1/4 हिस्से का, गैरसायल न0 2 1/4 हिस्से का दर्ज रिकार्ड है, खाता न0 135 मे कुल किता 3 कुल रकवा 0.45 है0 मे गैरसायल न0 1, 1/2 हिस्से का गैरसायल न0 1, 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज है जो गलत है। खाता न0 27 कुल किता 9 कुल रकवा 0.53 है0 मे गैरसायल न0 1, 1/144, गैरसायल न0 2, 1/144,तथा कजोडया पुत्र सुक्का हिस्सा 1/12, गैरसायल न0 3 हिस्सा 1/36, सायल रामसिंह हिस्सा 1/144 के खातेदार दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। उक्त आराजीयात मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 अनुसार साबिक ख0न0 173/2, 90, 270/3, 271/3, 386/2, 387, 388, 389/2, 173/1, 207/2, 271/2, 442, 519, 700/2, 747, 749, 761, 771, 255/1, 256/2, 255/2, 246/1, 269/1, 353, 554, 607, 792, 134, 279/1, 513/1, 127, 160/3, 262, 283, 48 से बने है। सायल व गैरसायल अपने बुजुर्ग सुक्का क संतती है। सुक्का के दो पुत्र कजोडया व चोटया है जिनमे चोटया लाऔलाद फौत हो गया, कजोडया भी फौत हो गया, कजोडया के चार पुत्र क्रमशः रामधन, रामस्वरूप, अमरसिंह, रामसिंह है जो जीवीत है। कजोडया की मृत्यु के समय रामसिंह की उम्र 6 वर्ष थी, अमरसिंह की उम्र 9 वर्ष थी, तथा रामधन व रामस्वरूप बालिग थे। इस प्रकार वर्णित आराजीयात मे सायल व गैरसायल न0 1 ता 3 व दावे के प्रतिवादी न0 7 बराबर–बराबर के खातेदार हिस्सेदार है। जमाबन्दी सम्वत 2031–34 तक मे रामधन पि0मु0 चोटया, कजोडया पुत्र सुक्का के नाम दर्ज है। कजोडया की मृत्यु के पश्चात जमाबन्दी मे कजोडया पुत्र सुक्का के दो बडे पुत्र रामधन, रामस्वरूप के नाम दर्ज कर दी है जबकि कजोडया के चारो पुत्रो के नाम कजोडया, चोटया की मृत्यु के बाद बहिस्सा खातेदारी दर्ज होनी चाहिये, रामधन पि0मु0 चोटया दर्ज है। तथा रामधन ने अपने पिता कजोडया की विरासत मे भी हिस्सा दर्ज करा लिया है। इस प्रकार रामधन, रामस्वरूप पि0 कजोडया, रामधन पि0 मु0 चोटया के नाम गलत व अवैध रूप से खातेदारी का इन्द्राज हुआ है। सायल का प्राईमाफेसी केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है इसलिये गैरसायलान को तादावा फैसला दिनांकः– 07.03.2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को क[illegible] किया जावे। [illegible] पत्रावली मे शामिल

सायल वकील की बहस [illegible] के [illegible] मे कुल किता 3 कुल ग्राम पाडली की जमाब[illegible] 2075 [illegible] का, गैरसायल न0 1, रकवा 0.60 है0 मे गैरसायल न0 3, 1/[illegible] का खातेदार दर्ज रिकार्ड 1/4 हिस्से का गैरसायल न0 2, 1/4 [illegible] 64 है0 मे गैरसायल न0 1, खाता न0 100 मे कुल किता 12 कुल रकवा [illegible] का खातेदार दर्ज है बकिया 1/4 हिस्से का गैरसायल न0 2, 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज है, खाता न0 101 मे कुल किता 10 कुल रकवा 2.65 है0 मे गैरसायल न0 1, 1/4 हिस्से के अन्य मुताबिक जमाबन्दी अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:50:21 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
[illegible] जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

हिस्से का, गैरसायल न0 2 1/4 हिस्से का दर्ज रिकार्ड है, बकिया हिस्से के अन्य मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार दर्ज है, खाता न0 135 मे कुल किता 3 कुल रकवा 0.45 है0 मे गैरसायल न0 1, 1/2 हिस्से का गैरसायल न0 2, 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज है, खाता न0 27 कुल किता 9 कुल रकवा 0.53 है0 मे गैरसायल न0 1, 1/144, गैरसायल न0 2, 1/144,तथा कजोडया पुत्र सुक्का हिस्सा 1/12, गैरसायल न0 3 हिस्सा 1/36, सायल रामसिह हिस्सा 1/144 के खातेदार दर्ज है बकिया हिस्से के अन्य मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। सायल द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित सजरा अनुसार सायल व गैरसायलान कजोडया पुत्र सुक्का के पुत्र साबित है। सायल द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमे सायल व गैरसायलान का हिस्सा तय किया जाना है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि दौराने वाद बेचान होने से सायल को अपूर्तनय क्षति साबित होने की संभावना है अतः सुविधा का संतुलन भ सायल के पक्ष मे साबित होता है, इसलिये वादपत्र के न्यायोचित निस्तारण के लिए सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.03.2022 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायलान को ग्राम पाडली की आराजी ख0न0 199/0.12, 278/0.05, 370/0.43, 109/0.12, 200/0.11, 277/0.05, 495/0.09, 496/0.14, 602/0.27, 812/0.19, 848/0.26, 857/980/0.11, 858/0.60, 885/0.63, 903/986/0.07, 110/0.10, 236/0.21, 290/0.10, 335/0.25, 610/0.34, 678/970/0.18, 847/0.27, 850/0.45, 890/0.44, 908/0.31, 140/0.06, 230/0.11, 576/0.28, 118/0.08, 119/0.09, 2/938/0.12, 214/942/0.03, 217/0.01, 218/0.09, 273/0.05, 31/0.01, 32/0.05 है0 मे ता दावा फैसला रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:50:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner